चेक लिस्ट क्रमांक –19

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस –।।" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा कोरबा जिला के कोरबा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत करतला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर महोदय, जिला कोरबा का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

TATA PROJECTS LIMITED

प्राधिकृत अधिकारी
टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
वास्ते – संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक)
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

वनमण्डलाधिकारी,
कोरबा वनमण्डल,
जिला – कोरबा, (छत्तीसगढ़).

वनमण्डलाधिकारी,
कोरबा वनमण्डल, कोरबा

71

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला कोरबा, छत्तीसगढ़

//अनापत्ति प्रमाण पत्र//

क्र./2670 / भू.अ./वन अधि./2019 कोरबा दिनांक 12/12/2019

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS)
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय :– भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना " भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India) के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला क्षेत्र के कोरबा वनमण्डल क्षेत्रान्तर्गत करतला ब्लॉक अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रदान करने विषयक अनुरोध।

संदर्भ :– मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, रायपुर (छत्तीसगढ़) का पत्र क्रमांक/भानेप्रो-II/ वनभूमि/एफआरए–अनापत्ति/2019–20/23।

----000----

विषयांतर्गत "भारत नेट प्रोजेक्ट" के तहत् वनमण्डल कोरबा, तहसील कोरबा, करतला ब्लॉक अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मार्ग में आने वाले राजस्व वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनापत्ति प्रदाय हेतु उल्लेख किया गया है –

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा से उक्त परियोजना हेतु अनापत्ति/अभिमत प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार परियोजना हेतु प्रभावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है :–

अ) राजस्व वनभूमि :–

क्र	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)	रिमार्क
1	करतला	चारमार	511	0.003	बड़े झाड़ के जंगल
2	करतला	मदवानी	363	0.003	बड़े झाड़ के जंगल
3	करतला	मदवानी	364	0.001	बड़े झाड़ के जंगल
4	करतला	नोनदरहा	648	0.005	बड़े झाड़ के जंगल
5	करतला	रामपुर	434	0.011	बड़े झाड़ के जंगल
6	करतला	रामपुर	10	0.015	बड़े झाड़ के जंगल
7	करतला	रामपुर	750/1	0.012	बड़े झाड़ के जंगल

//2//

8	करतला	बोतली	644/1	0.007	बड़े झाड़ के जंगल
9	करतला	टेंगनमार	423	0.056	बड़े झाड़ के जंगल
10	करतला	करतला	1224	0.008	बड़े झाड़ के जंगल
11	करतला	करतला	595	0.018	बड़े झाड़ के जंगल
12	करतला	कोटमेर	45/1	0.026	बड़े झाड़ के जंगल
13	करतला	कोटमेर	846	0.013	बड़े झाड़ के जंगल
14	करतला	नोनबिर्रा	359	0.023	बड़े झाड़ के जंगल
15	करतला	ढोंगाआमा	1/1	0.037	बड़े झाड़ के जंगल
16	करतला	कनकी	1606	0.024	बड़े झाड़ के जंगल
17	करतला	सूपातराई	80	0.008	बड़े झाड़ के जंगल
18	करतला	चिकनीपाली	2/1	0.010	बड़े झाड़ के जंगल
19	करतला	चिकनीपाली	441/1	0.006	बड़े झाड़ के जंगल
20	करतला	चिकनीपाली	65/1	0.006	बड़े झाड़ के जंगल
21	करतला	चिकनीपाली	65/2	0.009	बड़े झाड़ के जंगल
22	करतला	चिकनीपाली	89/1	0.008	बड़े झाड़ के जंगल
23	करतला	औराई	419	0.014	बड़े झाड़ के जंगल
24	करतला	औराई	470	0.059	बड़े झाड़ के जंगल
25	करतला	औराई	7	0.018	बड़े झाड़ के जंगल
26	करतला	केरवांद्वारी	420	0.018	बड़े झाड़ के जंगल
27	करतला	सेन्द्रीपाली	543	0.055	बड़े झाड़ के जंगल
योग (राजस्व वन भूमि)				**0.473**	

प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार उक्त परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि रकबा 0.473 हे० राजस्व वनभूमि में किसी भी हितग्राही का वन अधिकार पत्र प्रभावित नहीं हो रहा है एवं विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के व्यक्ति निवासरत नहीं है एवं प्रभावित नहीं हो रहे है तथा शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा जैसे– अस्पताल, आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन, पाठशाला इत्यादि प्रभावित नहीं होना प्रतिवेदित है।

अतः "भारत नेट प्रोजेक्ट" के तहत् वनमण्डल कोरबा, तहसील कोरबा, करतला ब्लॉक अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मार्ग में आने वाले वनभूमि/राजस्व वनभूमि पर वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी प्रयोजन बाबत् उपयोग करने की अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है, तो इस कार्यालय को निम्न शर्तो के अधीन कोई आपत्ति नहीं है–

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र उपरोक्त उल्लेखित राजस्व वन भूमि/वनभूमि पर "भारत नेट प्रोजेक्ट" के तहत् वनमण्डल कोरबा, तहसील कोरबा, करतला ब्लॉक अंतर्गत शामिल ग्राम

//3//

23

पंचायतों के मार्ग समानांतर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मार्ग में आने वाले वनभूमि/राजस्व वनभूमि पर वन सरंक्षण अधिनियम 1980 प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु दी जा रही है।

2. वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने पर संबंधित विभाग से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
3. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र परियोजना "भारत नेट प्रोजेक्ट" के तहत् उक्त भूमि में आप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य हेतु दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।
4. वृक्षों को काटे जाने की अनुमति सक्षम न्यायालय/विभाग से लिया जाना होगा।
5. यह अनुमति के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तांरण नही किया जा रहा है।

(श्रीमती किरण कौशल)
कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ. क्रमांक/2671/भू.अ./वन अधि./2019 कोरबा, दिनांक : 12/12/2019

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वनमंडलाधिकारी कोरबा की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा, जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ।
4. प्राधिकृत अधिकारी (भारतनेट प्रोजेक्ट), टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर (छत्तीसगढ़) की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)